राम सुन्दर राम

बनाम

यूनियन ऑफ इंडिया एवं अन्य

11 जुलाई 2007

[तरुण चटर्जी और लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. जे]

सेना अधिनियम, 1950 धारा 20, 22 और 63/सेना नियम 1954, नियम 12, 13 और 177, अनुशासनहीनता-अच्छी व्यवस्था के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य-पेट्रोल ऑयल एण्ड लूबरीकेन्ट क्लर्क के रूप में कार्य करने वाला कर्मचारी, कथित तौर पर अवैध रूप से गैस बेचने के लिए एक बाहरी व्यक्ति से पैसे प्राप्त किए--शिकायत--कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी-प्राधिकरण ने उसे अच्छे आदेश और सैन्य अनुशासन के लिए पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य के लिए अधिनियम की धारा 63 के तहत दोषी पाया और उसे सेवा से मुक्त कर दिया--चुनौती--उच्च न्यायालय द्वारा खारिज--अपील पर, पाया गया-जाँच न्यायालय के समक्ष, अपराधी को गवाहों से जिरह करने का उचित और पर्याप्त अवसर दिया गया था, जिसका उसने लाभ उठाने का विकल्प नहीं चुना-अपराधी द्वारा दिखाए गए कारण को असंतोषजनक पाते हुए, सक्षम प्राधिकारी ने कानून के गलत प्रावधानों का उल्लेख करते हुए उसे प्रदत्त

शक्ति का प्रयोग करते हुए सेवा से उसके निष्कासन का आदेश दिया-वास्तव में, आरोपमुक्त करने का आदेश अन्तर्गत धारा 22 पारित किया जा सकता था। धारा 20 अधिनियम में नहीं-केवल इसलिए कि कानून के गलत प्रावधान का संदर्भ दिया गया था, अपने आप में प्राधिकरण द्वारा शक्ति के प्रयोग को दूषित नहीं करता है जब तक शक्ति मौजूद है और कानून में उपलब्ध स्रोत का पता लगाया जा सकता है। प्रश्नगत निर्वहन का आदेश कर्मचारी के आचरण पर कोई कलंक लगाए बिना या संलग्न किए बिना सरलीकरण रूप में सेवा की समाप्ति का एक आदेश है, इसलिए इसे दंडात्मक प्रकृति भविष्य के रोजगार के लिए प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है।

अपीलार्थी सेना प्रतिष्ठान में क्लर्क के रूप में काम कर रहा था। जबकि पेट्रोल, तेल और स्नेहक (पी. ओ. एल.) क्लर्क के कर्तव्यों का पालन करते हुए, उनके खिलाफ गुमनाम शिकायतें प्राप्त हुईं। सक्षम प्राधिकारी ने कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी बुलाने का आदेश दिया। अपीलार्थी को पूछताछ के लिए निरूद्ध कर हिरासत में लिया गया था। पूछताछ के दौरान उसने पनसारी की दुकान के मालिक से एक चालक की मिलीभगत से अवैध रूप से 87 मैट्रिक टन गैस बेचने बाबत अवैध रूप से 12,500/- रुपये प्राप्त करने का इकबालिया बयान दिया था। बाद में, उन्होंने 12,500/-रूपये में से 5200/-रूपये जो कथित तौर पर उसे अवैध धन के

रूप में प्राप्त हुआ को जमा करवाया। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी ने अपनी रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को सौंप दी। अपीलार्थी, अच्छी व्यवस्था और सेना के अनुशासन के प्रतिकूल कार्य का दोषी पाया गया है, उन पर सेना अधिनियम की धारा 63 के तहत आरोप लगाया गया और उन्हें कारणदर्शक नोटिस जारी किया गया। अपीलार्थी ने कारण दिखाया जो असंतोषजनक पाया गया। सक्षम प्राधिकारी ने उन्हें सेवा से बर्खास्त कर दिया। पीड़ित, अपीलार्थी ने आदेश को उच्च न्यायालय में चुनौती दी। उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर निर्वहन के आदेश को दरकिनार कर दिया और निर्देश दिया कि प्रत्यर्थियों को अपीलार्थी को उसके वेतन के बकाया के 25 प्रतिशत के साथ बहाल करना चाहिए। भारत संघ द्वारा दायर रिट अपील में, एकल न्यायाधीश के आदेश को उच्च न्यायालय की एक खंड पीठ द्वारा रद्द कर दिया गया था। इसलिए वर्तमान अपील।

अपीलार्थी ने तर्क दिया कि उसे सेवा से हटाने का आदेश था सेना अधिनियम की धारा 63 के विपरीत था, जो कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद ही किसी भी प्रकार की सजा देने का प्रावधान करता है; कि कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी की कार्यवाही का उपयोग सेना नियम, 1954 के नियम 12 के विपरीत सबूत के रूप में किया गया है क्योंकि कोई डिस्चार्ज सर्टिफिकेट तैयार कर अपीलार्थी को नहीं भेजा गया था, कि सेना नियमों

के तहत काम करने वाला कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी, तथ्य खोजने की कार्यवाही के दौरान सबूत एकत्र करता है और उस कार्यवाही में किसी पर भी किसी अपराध का आरोप नहीं लगाया जाता है; कि जांच के दौरान एकत्र किया गया सबूत अधिनियम की धारा 63 के संदर्भ में उसके खिलाफ स्वीकार्य नहीं है, कि अपीलार्थी को सेवा से मुक्त कर दिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त कर ली गई है और उसे पेंशन के लाभ से भी वंचित कर दिया गया है। धारा 63 के प्रावधानों के विपरीत प्रशासनिक रूप से सेवा से छुट्टी दी गई और अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए सेवा से छुट्टी की आड़ में प्राधिकरण द्वारा अपीलार्थी की सेवा की समाप्ति के रूप में बड़ा जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

प्रत्यर्थी ने यह भी प्रस्तुत किया कि प्राधिकरण ने अधिनियम की धारा 22 के तहत सरलीकृत रूप से मुक्ति का आदेश पारित किया है। अधिनियम की धारा 20 के तहत मुक्ति का आदेश प्राधिकरण द्वारा गलत तरीके से उल्लेख किया जाना प्रतीत होता है।

याचिका खारिज करते हुए कोर्ट ने कहा,

1.1. सेना से अपीलार्थी के सेवाउन्मुक्ति का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेना अधिनियम की धारा 22 के तहत, जो नियम 13 के साथ पठनीय है, टेबल के कॉलम (2) (v) के तहत आने वाले आधारों पर,

उन्मुक्त करने का आदेश पारित होने से पहले उसे कारण बताने का पर्याप्त अवसर देने के बाद पारित किया गया है; कि सेना नियमों के नियम 177 के तहत कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया गया था और कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी का उद्देश्य था कि पेट्रोल की गुप्त बिक्री के गिरोह में अपीलार्थी और सेना के अन्य अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में उनका मन बनाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी देने के लिए सबूत एकत्र करें। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में, अपीलार्थी को सुना गया और उसे गवाहों से जिरह करने का उचित और पर्याप्त अवसर दिया गया, जिसका उसने लाभ नहीं उठाकर विकल्प नहीं चुना। {पैरा 19}{299-बी-सी}

1.2 . अपीलार्थी ने प्रत्यर्थी संख्या-5 द्वारा जारी कारण दर्शाने के नोटिस के जवाब में कारण दर्शाया था। सक्षम प्राधिकारी ने अपीलार्थी के उत्तर पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया और उसे संतोषजनक नहीं पाया। इसलिए, सक्षम प्राधिकारी ने सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए अपीलार्थी को तत्काल प्रभाव से सेना की सेवा से मुक्त करने का आदेश पारित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी ने उन्मुक्त करने के क्रम में धारा 20 को गलत तरीके से उद्धृत किया है, जबकि वास्तव में, आरोपमुक्त करने के आदेश को सेना अधिनियम की धारा 22 के तहत पारित किया गया है। यह अच्छी तरह से पूर्व से तय किया गया है कि यदि किसी प्राधिकरण के पास कानून के तहत शक्ति प्राप्त है

केवल इसलिए क्योंकि उस शक्ति का प्रयोग करते समय शक्ति को विशेष रूप से संदर्भित नहीं किया गया है या एक संदर्भ कानून के एक गलत प्रावधान संदर्भित किया जाता है, तो वह अपने आप में शक्ति के प्रयोग को दूषित नहीं करता है जब तक कि शक्ति मौजूद है और कानून में उपलब्ध स्रोत से पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलार्थी के निर्वहन के आदेश में अधिनियम की धारा 20 के गलत प्रावधान का हवाला देना सेना अधिनियम की धारा 22 के तहत प्राप्त प्राधिकरण के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनता है। इसलिए, सेना सेवा से अपीलार्थी के निष्कासन के आदेश को इस एकमात्र आधार पर दूषित नहीं किया जा सकता है।

{पैरा 20}{299-ई-एच 300-ए}

एन. मणि बनाम संगीत थिएटर और ओआरएस। {2004} 12 एस.सी.सी. 278, पर भरोसा किया।

1.3 . उन्मोचन के आदेश को सादा पढ़ने से पता चलता है कि यह अपीलार्थी के आचरण पर बिना कोई कलंक लगाए या संलग्न किए सरलीकृत रूप से सेवा को समाप्त करने का एक आदेश है। इसलिए उक्त आदेश को दंडात्मक प्रकृति का या सिविल सेवा में रोजगार प्राप्त करने में अपीलार्थी के भविष्य के रोजगार के लिए प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है।

इस प्रकार, अपीलार्थी का यह तर्क कि उन्मुक्ति का आदेश की प्रकृति दंडात्मक है, स्वीकृति के योग्य नहीं है।

{पैरा 20}{300-ए-बी}

पूर्व नायक सरदार सिंह बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर (1992) एससी 417, मेजर सुरेश चंद मेहता बनाम रक्षा सचिव (यू. ओ. आई.) और अन्य, एआईआर (1991) एससी 483, लेफ्टिनेंट कर्नल पृथी पाल सिंह बेदी बनाम भारत संघ और अन्य, एआईआर (1982) सु.को. 1413 और एस. एन. मुखर्जी बनाम भारत संघ,{1990} 4 एस.सी.सी. 594, लागू नहीं माना था।

1.4 उच्च न्यायालय की खण्ड़पीठ के निर्णय व आदेश के समर्थन में रिकार्ड पर पर्याप्त सबूत है और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस न्यायालय के हस्तक्षेप को उचित ठहराए {पैरा 21}{300-एफ}

सिविल अपीलीय न्यायनिर्णयः 2007 की सिविल अपील सं. 2951

उच्च न्यायालय के दिनांकित 10.12.2004 निर्णय और आदेश 1997 के एम. ए. टी. सं. 2856 में कलकत्ता से

अपीलार्थी के लिए के. एस. भाटी, ऐश्वर्या भाटी, श्वेता रानी और रेखा रानी

उत्तरदाताओं के लिए विकास सिंह. एएसजी. इंद्रा साहनी. रजनी सिंह. आर. सी. कथिया. प्रभात रंजन और अनिल कटियार।

न्यायालय का निर्णय लोकेश्वर सिंह पांटा, जे. द्वारा दिया गया।

1. विशेष अनुमति दी गई।

2. यह अपील, विशेष अनुमति द्वारा, राम सुंदर राम (यहां अपीलकर्ता) द्वारा कलकत्ता उच्च न्यायालय की एक डिवीजन बेंच के दिनांक 10.12.2004 के फैसले और आदेश के खिलाफ दायर की गई है, जिसके द्वारा 1997 का MAT नंबर 2856 दायर किया गया था। भारत संघ और अन्य (यहां प्रतिवादी) को अनुमति दी गई और एक विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 07.08.1997 के फैसले और आदेश को, अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका (सीओ नंबर 12843 (डब्ल्यू) नंबर 1991) को अनुमति देते हुए, खारिज कर दिया गया।

3. अपीलकर्ता ने कमांडर, 33 कोर आर्टिलरी ब्रिगेड (वर्तमान अपील में प्रतिवादी संख्या 5) जो सेना नियम 1954 के नियम 13 के तहत सक्षम प्राधिकारी था, द्वारा पारित सेना सेवा से मुक्ति के आदेश को रद्द करने के लिए कलकत्ता उच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की।

4. विद्वान एकल न्यायाधीश ने अन्य बातों के साथ-साथ इस आधार पर रिट याचिका को स्वीकार कर लिया कि उन्मुक्त करने का आदेश पारित

करते समय सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों का पालन नहीं किया गया है।

5. इसके बाद उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के समक्ष रिट अपील दायर की, जिसने हमारे समक्ष इस अपील में अपीलकर्ता द्वारा लगाए गए निर्णय और आदेश के अनुसार इसकी अनुमति दी।

6. 26.09.1980 को, अपीलकर्ता को भारतीय सशस्त्र बलों में चतुर्थ श्रेणी में क्लीनर के रूप में नियुक्त किया गया था। 23.09.1983 को वे सेना प्रतिष्ठान में एलडीसी बन गये। 03.07.1988 को, अपीलकर्ता को पेट्रोल, तेल और स्नेहक (पीओएल) क्लर्क के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए प्रतिनियुक्त किया गया था। 09.08.1988 को, सक्षम प्राधिकारी ने निम्नलिखित मुद्दों पर कुछ गुमनाम शिकायतों के आधार पर कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बुलाने का आदेश दिया।

A. उन परिस्थितियों की जांच करना, जिनके तहत आईओसी स्थापना के खिलाफ 5033 एएससी बटालियन को 70 क्रि0ली0 70 एमटी गैस जारी की गई थी, न्यू जलपाईगुडी, यूनिट द्वारा प्राप्त नहीं किया गया है और नुकसान के लिए जिम्मेदारी इंगित करता है।

B. पिछले दो वर्षों के रिकॉर्ड की जांच करना और कर्बसाइड पंप के संचालन में पीओएल की प्राप्ति, मांग, संग्रह और लेखांकन के लिए अपनाई जा रही प्रक्रिया की भी जांच करना।

C. खामियों को इंगित करना और उपचार और उपाय सुझाना।

D. आदेश में उल्लिखित हानियों के अलावा अन्य हानियों को इंगित करना।

7. 16.08.1988 से 12.12.1988 तक की अवधि के बीच प्राधिकरण द्वारा कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी विचार-विमर्श आयोजित किया गया था। 06.10.1988 को अपीलकर्ता को हिरासत में पूछताछ के लिए निरूद्ध किया गया था। पूछताछ के दौरान अपीलकर्ता ने डीवीआर द्वारा रखे गए बीपीएल और कर्बसाइड पंप के माध्यम से 87 मीट्रिक टन गैस की बिक्री के लिए पंसारी दुकान के मालिक श्री राजेंद्र सिंह से 12,500/- रु. जो ए काॅय 5033 एएससी बीएन (एमटी) के जीडीई 11 रमाकांत प्रसाद के पास रखे हुए थे की अवैध धनराशि प्राप्त करने का इकबालिया बयान दिया। अपीलकर्ता ने बाद में 12,500/- में से 5,200/-रुपये जमा कर दिए।

8. कोर्ट ऑफ इंक्वायरी पूरी हो गई और 24.08.1988 को जांच रिपोर्ट सक्षम प्राधिकारी को सौंप दी गई।

9. अपीलकर्ता को अच्छे आदेश और सैन्य अनुशासन के पूर्वाग्रहपूर्ण कार्य का दोषी पाया गया, उस पर सेना अधिनियम, 1950 की धारा 63 {संक्षेप में सेना अधिनियम} के तहत आरोप लगाया गया था,. 08.08.1989 को, मेजर एचएस ढिल्लों, पीठासीन अधिकारी, ने अपीलकर्ता और एलडीसी जेपी सिंह को एक पत्र भेजकर उन्हें 9 अगस्त, 1989 को 1000 बजे साक्ष्य सारांश रिकार्ड करने हेतु उपस्थित होने का निर्देश दिया।

अपीलकर्ता और कुछ अन्य सेना अधिकारियों के खिलाफ कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी द्वारा साक्ष्य एकत्र किए गए थे। 03.07.1991 को, अपीलकर्ता को प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा सूचित किया गया कि ए काय 5033 एएससी बीएन (एमटी) के साथ काम करते समय, अपीलकर्ता ने पंसारी की दुकान के मालिक श्री राजेंद्र सिंह से 12,500/- अवैध धन के रूप में लिये और उक्त राशि को स्वयं के उपयोग में बदल लिया, यह अच्छी तरह से जानते हुए कि यह ए काय 5033 ए एस सी बी एन (एम टी) के जी डी ई 11 रमाकांत प्रसाद डीवीआर द्वारा रखी गई बीपीएल और कर्बसाइड पंप के माध्यम से 87 मीट्रिक टन गैस की बिक्री से थी। उसे इसलिए नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर कारण बताने को कहा गया है क्योंकि उनके द्वारा की गई गलती के लिए उनकी सेवाएं क्यों समाप्त नहीं की जानी चाहिए। अपीलकर्ता द्वारा 13.08.1991 को बताया कारण असंतोषजनक पाया गया, प्रतिवादी संख्या 5 ने उसे 09.09.1991 को सेवा से बर्खास्त कर दिया।

10. अपीलकर्ता ने सेवा से मुक्ति के आदेश को कलकत्ता उच्च न्यायालय में चुनौती दी। विद्वान एकल न्यायाधीश ने, जैसा कि ऊपर कहा गया है, प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के उल्लंघन के आधार पर अन्य बातों के साथ-साथ सेवामुक्त करने के उक्त आदेश को रद्द कर दिया और उत्तरदाताओं को निर्देश दिया कि वे अपीलकर्ता को अंतिम आहरित वेतन के

अनुसार उसके बकाया वेतन के 25% के साथ बहाल करें। इसके अलावा, यह देखा गया कि सेना प्राधिकरण को अपीलकर्ता के खिलाफ कानून के अनुसार उचित कदम उठाने से नहीं रोका गया था, अगर उन्होंने ऐसी सलाह दी थी और केवल तकनीकियों को उस संबंध में बाधा नहीं बनना चाहिए। रिट अपील में, विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश को उच्च न्यायालय की एक खंडपीठ द्वारा रद्द कर दिया गया और अपीलकर्ता द्वारा दायर रिट याचिका को तदनुसार खारिज कर दिया गया।

11. अतः, अपीलकर्ता द्वारा यह अपील।

12. अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील कैप्टन केएस भाटी ने विधि के प्रश्न के रूप में तर्क दिया कि अपीलकर्ता को सेवा से हटाने का आदेश सेना अधिनियम की धारा 63 के विपरीत होने के कारण दूषित था, कोर्ट-मार्शल द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद ही किसी प्रकार की सजा देने का प्रावधान करता है। उन्होंने तर्क दिया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी की कार्यवाही को सेना नियम, 1954 के नियम 12 {इसके बाद सेना नियमों के रूप में संदर्भित} के विपरीत अपीलकर्ता के खिलाफ सबूत के रूप में इस्तेमाल किया गया है क्योंकि धारा 23 आर्मी एक्ट के प्रावधानों के तहत कोई डिस्चार्ज प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है जो तैयार कर अपीलार्थी को भेजा गया।

13. अपीलकर्ता के लिए यह तर्क दिया गया था कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी सेना नियमों के तहत कार्य करते हुए, तथ्य खोजने की कार्यवाही के दौरान साक्ष्य एकत्र करती है और उस कार्यवाही में किसी पर भी अपराध का आरोप या आरोप नहीं लगाया जाता है। यह तर्क दिया गया कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्य धारा 63 सेना अधिनियम के मद्देनजर अपीलकर्ता के खिलाफ स्वीकार्य नहीं हैं। जिसके तहत मामले को कोर्ट-मार्शल द्वारा सुनवाई के लिए भेजा जाना चाहिए था जैसा कि अन्य सैन्य कर्मियों के मामले में किया गया था, जिन्हें कोर्ट-मार्शल द्वारा निपटाया गया था और उन पर मामूली सजा लगाकर उन्हें सेवा में बनाए रखा गया था। अपीलकर्ता को सेवा से बर्खास्त कर दिया गया, जिसके परिणामस्वरूप उसकी पूरी पिछली सेवा जब्त कर ली गई है और उसे पेंशन के लाभ के साथ-साथ किसी अन्य सिविल सेवा में भविष्य के रोजगार से भी वंचित कर दिया गया है। विद्वान वकील ने तर्क दिया कि अपीलकर्ता को धारा 63 के प्रावधानों के विपरीत प्रशासनिक रूप से सेवा से बर्खास्त कर दिया गया था और अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति के प्रयोग में सेवामुक्ति की आड में प्रतिवादी नंबर 5 द्वारा अपीलकर्ता की सेवा समाप्ति के रूप में बडा जुर्माना लगाने का कोई प्रावधान नहीं है।

14. दूसरी ओर, उत्तरदाताओं की ओर से उपस्थित विद्वान एएसजी श्री विकास सिंह ने उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के फैसले का समर्थन

करने के लिए तर्क प्रस्तुत किए। उन्होंने तर्क दिया कि डिवीजन बेंच का सुविचारित निर्णय किसी भी कमजोरी या विकृति से ग्रस्त नहीं है, जिससे न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की आवश्यकता हो। उन्होंने तर्क दिया कि सेना नियमों के नियम 13 के तहत अधिकार प्राप्त प्राधिकारी ने सेना अधिनियम की धारा 22 के तहत सीधे तौर पर उन्मोचन का आदेश पारित किया है और ऐसा प्रतीत होता है कि प्राधिकारी द्वारा उन्मोचन के आदेश में धारा 20 का गलत उल्लेख किया गया है।

15. हमने पक्षों के संबंधित तर्कों पर गहन और उत्सुकतापूर्वक विचार किया है और रिकॉर्ड पर मौजूद संपूर्ण सामग्री का अध्ययन किया है।

16. यह पक्षकारों का स्वीकृत मामला है कि अपीलकर्ता सेना अधिनियम और उसके तहत बनाए गए सेना नियमों के प्रावधानों द्वारा शासित होता है। सेना अधिनियम की योजना बिल्कुल स्पष्ट है। अधिनियम का अध्याय IV सेना अधिनियम के अधीन व्यक्तियों की सेवा की शर्तों से संबंधित है।

17. अधिनियम की धारा 20 सेनाध्यक्ष और अन्य अधिकारियों द्वारा बर्खास्तगी, निष्कासन या कटौती से संबंधित है। अधिनियम की धारा 191 केंद्र सरकार को सेना अधिनियम के प्रावधानों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बनाने का अधिकार देती है। उक्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार ने सेना नियम, 1954 नामक नियम बनाए हैं। सेना नियमों का

अध्याय III बर्खास्तगी, उन्मोचन आदि से संबंधित है। सेना नियमों का अध्याय v आरोपों की जांच और कोर्ट-मार्शल द्वारा विचारण से संबंधित है। नियम 13 में सेना अधिकारी की श्रेणी, सेवामुक्ति के कारण/आधार, सेवामुक्ति का आदेश पारित करने में सक्षम प्राधिकारी और सेवामुक्ति के तरीके को सारणीबद्ध किया गया है।

18. इसमें कोई विवाद नहीं है कि अपीलकर्ता को ब्रिगेड/सब-एरिया कमांडर द्वारा अन्य सभी श्रेणियों के डिस्चार्ज के आधार पर उप-नियम (3) के नीचे दी गई तालिका के नियम 13 कॉलम 2 (v) के तहत उन्मुक्त कर दिया गया है, जो स्वीकृत रूप से अपीलकर्ता के निर्वहन को अधिकृत करने के लिए सक्षम प्राधिकारी था। तालिका का कॉलम 4 डिस्चार्ज का तरीका प्रदान करता है, जो निम्नानुसार है;

> "यदि मामले की परिस्थितियाँ अनुमति देती हैं, तो ब्रिगेड या सब-एरिया कमांडर उन्मोचन का आदेश देने से पहले उस व्यक्ति को, जिसे उन्मोचित करने का विचार किया जा रहा है, विचाराधीन उन्मोचन के खिलाफ कारण बताने का अवसर देगा।"

19. अपीलार्थी को सेना सेवा से बर्खास्त करने का आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा सेना अधिनियम की धारा 22 सपठित नियम 13 के तहत तालिका के कालम (2)(v) के अन्तर्गत आने वाले

आधारों पर पारित किया गया है। आरोपमुक्त करने का उक्त आदेश पारित होने से पहले उसे कारण बताने का पर्याप्त अवसर देने के बाद। हालाँकि, हमारे सामने रखी गई सामग्री से हम संतुष्ट हैं कि कोर्ट ऑफ इंक्वायरी का गठन सेना नियमों के नियम 177 के तहत किया गया था जिसका उद्देश्य वरिष्ठ अधिकारियों की जानकारी के लिए साक्ष्य एकत्र करना था ताकि वे पेट्रोल की गुप्त बिक्री के रैकेट में अपीलकर्ता और अन्य सैन्य अधिकारियों की संलिप्तता के बारे में अपना मन बना सके। कोर्ट ऑफ इन्क्वायरी में, अपीलकर्ता को सुना गया और उसे गवाहों से जिरह करने का उचित और पर्याप्त अवसर दिया गया, जिसका उसने फायदा नहीं उठाया। उत्तरदाताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका के विरोध में दायर जवाबी हलफनामे के पैरा 20 में स्पष्ट बयान दिया गया है कि जांच अदालत में अपीलकर्ता को अपने मामले का बचाव करने और रिकॉर्डिंग अधिकारी के समक्ष उपस्थित और गवाही देने वाले गवाहों से जिरह करने का पूरा मौका दिया गया था लेकिन अपीलकर्ता पूरी कार्यवाही के दौरान केवल बैठा रहा और उसने गवाहों से जिरह करने के अवसर का लाभ नहीं उठाया। अपीलकर्ता ने प्रत्युत्तर हलफनामे में उत्तरदाताओं के इस दावे का खंडन नहीं किया है।

20. जैसा कि ऊपर देखा गया है, अपीलकर्ता ने प्रतिवादी संख्या 5 द्वारा उसे जारी किए गए कारण बताओ नोटिस दिनांक 03.07.1991 (अनुलग्नक पी 5) के उत्तर दिनांक 13.08.1991 (अनुलग्नक पी 6) के माध्यम से कारण बताया था। सक्षम प्राधिकारी ने अपीलकर्ता के उत्तर पर सही परिप्रेक्ष्य में विचार किया और उसे संतोषजनक नहीं पाया। इसलिए, 09.09.1991 को, सक्षम प्राधिकारी ने सेना अधिनियम की धारा 20 के तहत शक्ति का प्रयोग करते हुए तत्काल प्रभाव से अपीलकर्ता को सेना सेवा से बर्खास्त करने का आदेश (अनुलग्नक पी 7) पारित किया। ऐसा प्रतीत होता है कि सक्षम प्राधिकारी ने उन्मुक्त करने के आदेश में धारा 20 को गलत उद्धृत किया है, जबकि वास्तव में उन्मोचित करने का आदेश धारा 22 सेना अधिनियम के तहत पारित किया गया पढा जाना चाहिए। यह अच्छी तरह से स्थापित है कि यदि किसी प्राधिकारी के पास कानून के तहत कोई शक्ति है, केवल इसलिए कि उस शक्ति का प्रयोग करते समय शक्ति के स्रोत को विशेष रूप से संदर्भित नहीं किया जाता है या कानून के गलत प्रावधान का संदर्भ दिया जाता है, तो यह अपने आप में अधिकार के प्रयोग को खराब नहीं करता है। शक्ति तब तक है जब तक शक्ति मौजूद है और कानून में उपलब्ध स्रोत से इसका पता लगाया जा सकता है {देखें एन. मणि बनाम संगीता थिएटर और अन्य।(2004) 12 एससीसी 278}। इस प्रकार, सक्षम प्राधिकारी द्वारा अपीलकर्ता को सेवामुक्त करने के आदेश में धारा 20 के गलत प्रावधान का उद्धरण सेना अधिनियम की धारा 22 के

तहत प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र को नहीं छीनता है। इसलिए, जैसा कि अपीलकर्ता के विद्वान वकील ने तर्क दिया है, अपीलकर्ता को सेना सेवा से बर्खास्त करने के आदेश को इस एकमात्र आधार पर रद्द नहीं किया जा सकता है। सेवामुक्त करने के आदेश को पढने से पता चलता है कि यह अपीलकर्ता के आचरण पर कोई कलंक लगाए बिना सीधे तौर पर सेवा समाप्त करने का आदेश है, इसलिए उक्त आदेश को प्रकृति में दंडात्मक या अपीलकर्ता के भविष्य के रोजगार के लिएसिविल सेवा में रोजगार प्राप्त करने में प्रतिकूल नहीं कहा जा सकता है। अपीलकर्ता के विद्वान वकील का यह तर्क कि आरोपमुक्त करने का आदेश प्रकृति में दंडात्मक है, स्वीकार करने योग्य नहीं है।

21. उच्च न्यायालय की खंडपीठ ने पूर्व के मामलों में अपीलकर्ता द्वारा इस न्यायालय के निर्णयों पर भरोसा किया है। एक्स. नाइक सरदार सिंह बनाम भारत संघ एवं अन्य। {एआईआर 1992 एससी 417}, मेजर सुरेश चंद मेहता बनाम रक्षा सचिव (यूओआई) और अन्य। {एआईआर 1991 एससी 483}, लेफ्टिनेंट कर्नल पृथ्वी पाल सिंह बेदी बनाम भारत संघ एवं अन्य । {एआईआर 1982 एससी 1413} और एसएन मुखर्जी बनाम भारत संघ {(1990) 4 एससीसी 594}। उक्त निर्णयों में, इस न्यायालय ने उन सैन्य अधिकारियों को सजा देने के मामले पर विचार किया है जो कोर्ट-मार्शल कार्यवाही के अधीन थे। एसएन मुखर्जी के मामले

(सुप्रा) में, यह न्यायालय कोर्ट-मार्शल कार्यवाही को चुनौती देने के अलावा, अर्ध-न्यायिक कार्य करने वाले एक प्राधिकारी द्वारा कारणों की रिकॉर्डिंग की आवश्यकता पर विचार कर रहा था। मेजर सुरेश चंद मेहता (सुप्रा) के इस न्यायालय के फैसले के पैराग्राफ 13 का आधार लिया गया था। इस मामले में, इस न्यायालय ने माना कि सेना नियमों के नियम 177 के तहत कोर्ट आॅफ इन्क्वायरी केवल साक्ष्य एकत्र करने के उद्देश्य से आयोजित की जाती है और यदि आवश्यक हो तो किसी भी मामले को जिसे अधिकारियों को भेजा गया है के संबंध में रिपोर्ट करना है और ऐसी जांच प्रारंभिक जांच के उद्देश्य से है और इसे मुकदमे या कोर्ट-मार्शल के साथ नहीं जोडा जा सकता है। उपरोक्त सभी उद्धृत निर्णय हस्तगत मामले के विशिष्ट तथ्यों में अपीलकर्ता को कोई सहायता नहीं देते हैं। हम इस बात से संतुष्ट हैं कि उच्च न्यायालय की खंडपीठ के फैसले और आदेश के समर्थन में रिकॉर्ड पर पर्याप्त सबूत हैं और ऐसा कुछ भी नहीं है जो इस न्यायालय को इसमें हस्तक्षेप करने को उचित ठहराए। इसलिए, अपीलकर्ता के उपरोक्त तर्क हमारे लिए अस्वीकार्य हैं।

22. ऊपर चर्चा किए गए कारणों से, अपील योग्यता से रहित है और तदनुसार, इसे खारिज किया जाता है। खण्डपीठ के निर्णय एवं आदेश की पुष्टि की जाती है। हालाँकि, पक्षकारों को अपना खर्चा खुद वहन करने के लिए छोड दिया जाता है।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल '**सुवास**' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी रेखा वाधवा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।